कार्यालय जिला कृषि अधिकारी–बहराइच।

::–सार्वजनिक नीलामी सूचना–::

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद बहराइच के राजकीय कृषि प्रक्षेत्र नानपारा, बालचन्दपुर, बखारी व घाघराघाट के रबी वर्ष 2019–20 के छानस/अमानक स्टाक जिसका विवरण निम्नवत है, की नीलामी दिनांक 18.02.2021 को अपराहन 2.00 बजे कृषि भवन, बहराइच सभागार में कराई जायेगी।

क्रम सं0	स्टाक का नाम	छानस (मात्रा कु0 में)	अमानक (मात्रा कु0 में)
1	मटर छानस	3.44	––
2	गेहूॅ छानस/अमानक	374.30	547.00
3	राई छानस	0.32	––
	योग–	378.06	547.00

::–नीलामी की प्रमुख शर्ते–:

1:–नीलामी किये जाने वाले स्टाक का नमूना जनपद के प्रक्षेत्र अधीक्षकों से सम्पर्क कर किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।

2:–उपरोक्त नीलामी बोली में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को बतौर धरोहर धनराशि रू0–25000.00 (पच्चीस हजार) का बैंक ड्राफ्ट जिला कृषि अधिकारी बहराइच के पदनाम से बनवाकर कैशियर कार्यालय अधोहस्ताक्षरी के पास जमा करना होगा। धरोहर धनराशि नीलामी तिथि के एक दिन पूर्व अर्थात दिनांक–17.02.2021 के सांय 05 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा की जा सकती है।

3–धरोहर धनराशि के बैंक ड्राप्ट के साथ खाद्यान्न क्रय/विक्रय करने के लाईसेंस की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा मूल प्रति नीलामी समिति को नीलामी कार्यवाही से पूर्व अवलोकित करानी होगी।

4:–नीलामी में अधिकतम् बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी मूल्य का 25 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा करना होगा। शेष धनराशि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात स्टाक उठाने के पूर्व जमा करना होगा। नीलामी स्वीकृति होने के एक सप्ताह के अन्दर समस्त स्टाक उठा लेना होगा। निर्धारित अवधि में स्टाक न उठाने पर क्रेता की अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

5:–स्टाक को उठाने तथा ले जाने का समस्त व्यय क्रेता को स्वंय वाहन करना होगा।

6:–नीलामी किये स्टाक पर नियमानुसार देय कर अलग से अदा करना होगा।

7:–नीलामी कक्ष में केवल वास्तविक बोलीदाताओं को प्रवेश करने की अनुमति दी जायेगी। बोलीदाताओं को अपना फोटो पहचान पत्र पहचान हेतु दिखाना होगा।

8:–नीलामी कक्ष में किसी भी बोलीदाता को अस्त्र/शस्त्र लाने की अनुमति नही होगी।

9:–नीलामी बोली समाप्त /निरस्त करने का अधिकार नीलामी कमेटी का होगा जो अन्तिम होगा। नीलामी बिना कोई कारण बताये समिति द्वारा निरस्त की जा सकती है।

10:–स्टाक उठाने की अनुमति संयुक्त कृषि निदेशक, देवीपाटन मण्डल गोण्डा की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही दी जायेगी।

11:–नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात किसी भी व्यक्ति जिसने नीलामी कार्यवाही में भाग न लिया हो उसके भाव बढाने का प्रस्ताव मान्य नही होगा। निर्धारित नियमों एवं शर्तो के अतिरिक्त अन्य कोई शर्त मान्य नही होगी। नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के पश्चात किसी प्रकार की कोई शिकायत मान्य नही होगी।

12:–नीलामी मे भाग लेने वाले व्यक्तियों को सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना होगा एवं फेस कवर/मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त कोविड–19 के रोकथाम व बचाव हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा।

13:–नीलामी से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी व स्टाक का विवरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

14:–स्टाक जिस दशा में जहां है उसी दशा में उठाना होगा। स्टाक की मात्रा घट–बढ सकती है।

15:–इस सम्बन्ध में किसी भी वाद–विवाद का न्यायिक क्षेत्र जनपद–बहराइच होगा।

जिला कृषि अधिकारी
बहराइच